हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	स्वीकार किये जाकर मूल प्रार्थना पत्र में लाल स्याही से संशोधन किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखे जाकर दोनों निर्णय शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी प्रतिवादी सं० 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 CPC व ~~प्रार्थना पत्र~~ 9 नियम 7 CPC सपठित धारा-151 CPC खारीज हो चुका है अतः प्रतिवादी सं० 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज वियाजत प्रस्ताव के चलने का कोई औचित्य नहीं है प्रार्थना पत्र एतराज वियाजत प्रस्ताव भी खारीज किया जाता है। मिसल वास्ते वृहत वियाजत प्रस्ताव हेतु दिनांक 15-4-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
15-4-21	पत्रावली पेश हुई। मिसल वास्ते वृहत वियाजत प्रस्ताव हेतु दिनांक 22-4-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा
22-4-21	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार चिड़ावा ने पत्रावली पर वियाजत प्रस्ताव प्रेषित किया। शामिल मिसल रहे। वकील वादिया ने वियाजत प्रस्ताव दिनांक 9-4-21 पर एतराज किया। न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार चिड़ावा से पुनः वियाजत प्रस्ताव नहीं मंगवाये गये थे। इसलिए उक्त वियाजत प्रस्ताव को पढ़ा नहीं जावेगा। वकील वादिया एवं वकील प्रतिवादीगण सं० 4 व 5 ने दिनांक 8-9-20 को तैयार वियाजत प्रस्ताव के मुताबिक वाद पर अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया। वाद वादिया मुताबिक वियाजत प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार चिड़ावा वियाजत प्रस्ताव के मुताबिक पत्रकारान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। वियाजत प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। पक्षा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील पत्रावली दाखील दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

PD दिनांक 8-9-20 के अनुसार डिक्री किया जाता है कोई हेतवाद नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.09.28 12:53:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner